फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**
उनवान **सीताराम खण्डेलवाल** बनाम **बैंक आफॅ बर्डोदा(ई–विजया)**
किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र रिव्यू** नम्बर **15/52/2021**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.21	आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी सीताराम खण्डेलवाल उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया, का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 15/29/2021 अनुवान बैंक ऑफ बडौदा (ई–विजया) शाखा कार्यालय तेज मंडी स्टेशन रोड अलवर बनाम मैसर्स प्रदीप एजेन्सीज न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2021 को निर्णित किया जा चुका है। अप्रार्थी सीताराम खण्डेवाल अपने प्रा0पत्र में अंकित किया है कि बैंक प्रबन्धक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रार्थी को सदोष हानि पहुचाने के लिये प्रकरण के सभी तथ्यों छिपाते हुये गलत आदेश पारित करवा लिये है, उन्हें निरस्त किया जावें। हमनें प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र में सलग्न दस्तावेजात का मनन किया एवं प्रार्थी सीताराम खण्डेलवाल भी उपस्थित नहीं आया और ना ही पूर्व में उपस्थित हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2021 को आदेश दिये जा चुके है कि धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट का स्त्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बाबत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2021 से आहत है तो वह डी0आर0टी0 जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.21 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी सीताराम खण्डेलवाल पुत्र स्व0 श्री रामदयाल खण्डेलवाल मैसर्स प्रदीप एजेन्सी दुकान नं0 2 पालावत मार्केट स्टेशन रोड, अलवर जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–07–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलक्टर अलवर। जिला कलक्टर अलवर (राज0)	